(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024 / 158

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111 - 128	92/24	5/4/2024	28/5/24	18/4/2024

अनवान

श्री प्रभुलाल S/o मोहनलाल भील — श्री रमेशचन्द्र S/o देबीलाल मीणा

निवासी पीपलीखेड़ा आरोली — निवासी गोविन्दपुरा तह. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट — अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार — मदयून

श्री रामफूल धाकड़ — श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

प्रभुलाल बनाम शोभा

नम्बर 92/2024

किस्म मुकदमा – 111-128

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/4/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 18/4/2024 को पेश हों। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	91
7/5/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 22/5/24 को वास्ते पु. आ. पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	
22/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते बहस/निर्णय आगामी दिनांक 28/5/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
28/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। एवं तहसीलदार बिजौलिया को तहरीर जारी की गई। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 92/24

तारीख 5/4/24

प्रभुलाल पुत्र मोहनलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी पीपलीखेडा आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बनाम ....प्रार्थी

01. रमेशचन्द्र पुत्र देबीलाल जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. सुगना पुत्र हीरालाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी केसुविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. भंवरलाल पुत्र राजमल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. उगमी पत्नि देवाराम जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
05. काना पुत्र बरदा जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी केसुविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
06. रामलाल पुत्र बरदा जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी केसुविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

.................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक :28/5/24

प्रार्थना पत्र **प्रभुलाल पुत्र मोहनलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी पीपलीखेडा आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 107 पर अंकित आराजी संख्या 394/15, 520/394 कुल किता 02 रकबा 5–00 बीघा भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां खुर्द** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीया अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 107 पर अंकित आराजी संख्या 394/15, 520/394 कुल किता 02 रकबा 5–00 बीघा भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 92/24 तारीख 5/4/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....92..... / 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

प्रभुलाल पुत्र मोहनलाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी पीपलीखेडा आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

...........प्रार्थी

बनाम

01. रमेशचन्द्र पुत्र देबीलाल जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. सुगना पुत्र हीरालाल जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी केसुविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. भंवरलाल पुत्र राजमल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. उगमी पत्नि देवाराम जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
05. काना पुत्र बरदा जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी केसुविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
06. रामलाल पुत्र बरदा जाति भील उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी केसुविलास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

..................विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील** बिजौलियाँ **की सरहद में स्थित खाता संख्या 107 पर अंकित आराजी संख्या 394/15, 520/394 कुल किता 02 रकबा 5–00 बीघा भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **बिजौलियां खुर्द** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीया अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा